समुदाय व संरक्षण

जैवविविधता का संरक्षण और रोजीरोटी की निश्चिंतता

अंक २, नं. ३, अक्तूबर २००९

Kalpavriksh Environment Action Group

सूचि / अनुक्रमिका

१.कानून और नीति ३

१.१ अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपारिक अरण्यवासी (वनविषयक अधिकारों को मान्यता) कानून २००६ (टी.एफ.आर.ए) ३

१.१.१.जंगल के संसाधनों पर महाराष्ट्र के आदिवासी गाँवों का दावा ३

१.१.२.ओडिशा में राज्य स्तरीय विचारगोष्ठी ४

१.२ वन्यजीव संरक्षण कानून ४

२. लोकसमूहों द्वारा संरक्षित क्षेत्र ७

२.१. घटनाएँ और नतीजे ७

२.१.१.उत्तरपूर्व के क्षेत्र में सी.सी.ए. के बारे में सभा ७

२.१.२.सी.सी.ए.के बारे में पश्चिमी क्षेत्रीय विचारगोष्ठी ७

२.१.३.दक्षिण अशिया - काठमाण्डु में विचारगोष्ठी

२.१.४. सी.बी.डी. की तैयारी में सभा ८

२.२. केसस्टडी – असम के काकोइजाना अरण्य के सुनहरे लंगूरों का संरक्षण ८

३.पुस्तक परीक्षण १0

संपादकीय

नमस्ते!

सब से पहले हम आप से माफी माँगना चाहेंगे कि किसी अनिवार्य कारण से यह अंक आप के हाथों में सौंपने में काफी विलंब हुआ है । उम्मीद है कि यह अंक इस विलंब का क्षतिपूरण करेगी। इस अंक में हम पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों के बारे में आप का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे ।

यह पत्रिका आप के लिये कई खबरें और जानकारी लाई है। आशा है कि इसे बनाने में मुझे जितनी खुषी हुई थी उतनी ही आप को इसे पढ़ने में होगी। महाराष्ट्र के गडचिरोली ज़िले के मेंढालेखा गाँव के यश की कहानी आप यहाँ पढ़ेंगे। जिन्हों ने इस पत्रिका की पुरानी आवृत्तियाँ पढी हैं उन्हे पता होगा कि इस गाँव ने कई साल पहले स्वयंनिर्णय के लिये यशस्वी अभियान चलाया था। देश का यह पहला गाँव है जिसने संलग्न जंगल पर टी.एफ.आर.ए. २००६ के सामुहिक वनाधिकार विषयक प्रबंध के तहत सामुहिक अधिकार पाए हैं। देवाजी तोफा के प्रभावी नेतृत्व में इस गाँव ने यह विजय हासिल किया है।

कम्यूनिटी कान्ज़र्व्ड ओरियाज (सी.सी.ए.) के विषय में काठमाण्डु (नेपाल) में असम (उत्तरपूर्वी क्षेत्र) में और राजस्थान (पश्चिमी क्षेत्र) में संपन्ना हुई। इस विषय में हो रहे डेवलपमेंट्स की झलक आपको मिलेगी। सी.बी.डी.[1] के संरक्षित क्षेत्रों में कार्य विषयक प्रोग्राम के अनुपालन पर हुई अशियाई क्षेत्रीय कार्यशाला के बारे में भी आप पढ़ सकेंगे।

नवीनता के साथ सुलझाए जा रहे निसर्ग संरक्षण के मामलों के बारे में दिलचस्प जानकारी भी आप इस पत्रिका में पाएंगे जैसे की अण्डमान और निकोबार द्वीपों की गुँफाओं में बच्चे देनेवाले 'एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट' पंछी के घोसलों को व्यापार के लिये इकट्ठा करना या फिर पाकिस्तान में मार्खोर की 'ट्राफी' के तौर पर वैध शिकार करना। असम के काकोईजाना अरण्य के सुनहरे लंगूरों के संरक्षण से उठनेवाले अतिरिक्त फायदों के बारे में भी आप जानकारी पाएँगे।

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो गत साल में सूखा रहने के कारण फ़सल में आई हुई गिरावट अधिक किसार्नआत्महत्याओं का संकेत देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इण्डोनेशिआ में पश्चिमी सुमात्रा के पडांग शहर के करीब आए भूकंप (रिश्टर स्केल पर ७.६ महत्ता) में एक हजार से ज़्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। इण्डोनेशिया जैसे राष्ट्र जो बार बार भूचाल जैसी नैसर्गिक आपत्तियों की चपेट में आ जाते हैं वे भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण और भी प्रभावित होने की आशंका हैं।

---

[1] कन्वेन्शन ऑन बायोडायवर्सिटी (http://www.cbd.int/).

जागतिक स्तर पर जलवायु परिवर्तन का सारी पृथ्वी की पारिस्थितिकी को गंभीर ख़तरा है। कोपनहेगन के क्लायमेट कॉन्फरन्स (६-१८ दिसंबर २००९) का दुनिया पर क्या असर होगा यह तो समय ही बताएगा। प्रधानमंत्रीजी ने भी यह मान्य किया है कि कॉन्फरन्स कुछ खास समाधानकारक नहीं थी। जागतिक स्तर पर छाई व्यापारी मंदी से अर्थव्यवस्था बड़े कष्ट के साथ व धीमी गति से उबर रही है। नफ़रत के कारण छिड़े संहारक युद्धों में निसर्ग तथा मानव का विनाश अब भी हो रहा है।

दुनिया में समाजिक और नैसर्गिक अमन की संभावना चिंताजनक तो है और इसी कारण आशा और धैर्य के मसले हमारे लिये पहले से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गए हैं। नेपोलिअन ने जो कहा था उसे हम कभी भुला नहीं सकते "हिम्मत का मतलब यह नहीं कि आगे बढ़ते रहने की शक्ति होनी चाहिये; हिम्मत का मतलब यह है कि शक्ति न होने के बावजूद आगे बढ़ते रहना।

प्रिय पाठकों किस्मत को बस में करने चले ऐसे वीरों को - जैसे की गडचिरोली के देवाजी ताफा को और उनकी बेटी मंदा को तथा ओडिशा और भारत के अन्य आदिवासी इलाकों के अनामिक आदिवासी लोगों को - इस पत्रिका को समर्पित करने में इसी कारण मुझे बड़ी खुषी हो रही है।

इन में से कुछ धैर्यशील वीरों से आप इस पत्रिका में मिलेंगे। आशा है कि आप प्रेरित होंगे!

ज़िंदाबाद!

मिलिन्द

१. कानून और नीति

१.१. अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपारिक अरण्यवासी (वनविषयक अधिकारों को मान्यता) कानून २००६ (टी.एफ.आर.ए.)

१.१.१. महाराष्ट्र के आदिवासी गाँवों का जंगल के संसाधनों पर दावा

गडचिरोली ज़िले के दो आदिवासी गाँवों ने उनकी चारों ओर फैले हुए जंगल पर सामुहिक अधिकारों को नये कानून - शेडयूल्ड ट्राइब्ज ऑण्ड अदर ट्रैडिशनल फौरेस्ट ड्वेलर्स (रेकग्निशन औफ फॉरेस्ट राईट्स) ॲक्ट (टी.एफ.आर.ए.) – के अंतर्गत प्राप्त किया। धानोरा तालुक में स्थित मेंढा-लेखा और पाटेगाँव के करीब बसा मार्डा, दोनों गाँव नक्षलवादी-बाधित क्षेत्र में स्थित हैं। अन्न और नागरी आपूर्ति (सप्लाइ) मंत्री रमेश बंग ने १५ अगस्त २००९ को स्वतंत्रता दिवस की वर्षगाँठ के मौके पर यह निर्णय घोषित किया। खुद सरकार चलाने की मेंढा-लेखा की 'मावा नाटे मावा राज' घोषणा के बारे में दस साल पहले समाचार पत्रों में खबरें छपी थी। इसी घोषणा के साथ गाँव ने पंचायती राज कानून के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की और सरकारी हस्तक्षेप को सीमित रख कर अपने विकास कार्यक्रमों को खुद कार्यान्वित करने की ठान ली। देवाजी तोफा इस स्वयंनिर्णय अभियान के नेता थे और उनकी बेटी मंदा और जमाई नितीन बारसिंगे के नेतृत्व में मार्डा गाँव ने ऐसा ही एक अभियान चलाया। आदिवासी कार्यकर्ता मोहन हिराबाई हिरालाल ने कहा है कि सारे देश में इस प्रकार का यह पहला निर्णय है और उन्होंने खुषी जताई कि कलक्टर ने इसे आगे बढ़ाया। टी.एफ.आर.ए. की वजह से मेंढा-लेखा ने १८०० हेक्टेअर ज़मीन के और मार्डा गाँव ने ८८० हेक्टेअर ज़मीन के व्यवस्थापन और उपयोग करने के कानूनी अधिकार पाये हैं। टी.एफ.आर.ए. द्वारा दोनों गाँवों ने मवेशीओं के लिये चारा और वन्य उपज इकट्ठा करने की और उनका संचय करने की अनुमति पायी है तथा संसाधनों का व्यवस्थापन करने का अधिकार भी पाया है।

सूचना – यह विवरण का कुछ अंश है। पूरा विवरण यहाँ पढ़िये - http://www.indianexpress.com/news/under-new-act-2-villages-get-forest rights/502878/.

श्री मोहन हिराबाई हिरालाल के साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं -

संयोजक वृक्षमित्र
शेंडे प्लाट रामनगर
चंद्रपूर ४४२४०१
मोबाइल ९४२२८३५२३४
email: mohanhh@gmail.com

राष्ट्रीय वार्ताएँ – परिपत्र और मार्गदर्शक तत्त्व

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सारे राज्यों (जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड कर) के और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को वन अधिकार अधिनियम (टी.एफ.आर.ए.) के अनुपालन के बारे में परिपत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार वन क्षेत्र को बगैर वन उद्देश्य के लिये इस्तेमाल करने के सारे प्रस्तावों के साथ टी.एफ.आर.ए. के ज़रिये दिये गये अधिकारों के सेटलमेंट प्रक्रिया की पूर्तता को दर्शानेवाले सबूत जोड देने चाहिये।

सूत्र - केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का ३०.७.२००९ को ज़ारी किया गया परिपत्रक क्र.F.N.11-9/1998-FC(pt)।

जनजाति कार्य मंत्रालय ने मई २००९ में टी.एफ.आर.ए. के धारा ३(२)के तहत निर्देशिका ज़ारी की। जंगलों पर निर्भर पात्र जनसमूहों को आधारभूत विकास सुविधाएँ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया इस निर्देशिका में दी गई है। धारा ३(२) के अनुसार जंगल में ज़मीन का कोई हिस्सा विकास कार्य में जुटाने से पहले जो सत्यापन (वेरिफिकेशन) प्रक्रिया आवश्यक है वह भी इस में स्पष्ट की गई है।

सूत्र - केंद्रीय जनजातिय कार्य मंत्रालय
http://tribal.gov.in/index1.asp?linkid=360&langid=1.

१.१.२. टी.एफ.आर.ए. के अनुपालन के बारे में राज्य-स्तरीय विचारगोष्ठी

१–३ सप्टेंबर २००९ को ओडिशा के एक एन.जी.ओ. वसुंधरा ने भूबनेश्वर मे टी.एफ.आर.ए. के तहत वन के संसाधनों पर लोकसमूह के अधिकारों के विषय में एक राज्यस्तरीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया था। अलग अलग जनजातियों के तथा सरकारी और बगैर सरकारी संस्थाओं के कुल मिलाकर ३०० से ज़्यादा प्रतिनिधि इस में शामिल हुए थे।

इन तीन दिनों में इस अधिनियम के बारे में और उस में दिये गए अधिकारों की पहुँच के बारे में तथा उसके अनुपालन के दौरान उठनेवाले सवालों के बारे में चर्चाएँ हुई। विचारगोष्ठी में वन्य संसाधनों पर रहे जनसमूहों के अधिकारों पर तथा लघु वन उपजों पर तथा आदि जनजातीय समूहों (आ.ज.स.) के अपने आधिवास पर सामुदायिक धारण अधिकारों के बारे में चर्चासत्र हुए। कानूनी मान्यता प्राप्त इन अधिकारों की पहुँच और उनके अनुपालन में रहे अंतर के बारे में ओडिशा भर से आए सदस्यों में चर्चा हुई और अपने अपने इलाकों में इस अधिनियम के अनुपालन में होनेवाली प्रगति की जानकारी देकर उन्हों ने उस पर बातचीत की।

अधिनियम के अनुपालन में उठनेवाली समस्याओं के बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री श्री बिजय रंजन सिंह बरिहा राज्यसभा के सदस्य श्री प्यारी मोहन महापात्रा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास मंत्रालय के प्रमुख सचिव श्री अशोक कुमार त्रिपाठी तथा अतिरिक्त सचिव श्री बिस्वजीत मिश्र आदि महमानों के साथ चर्चा हुई।

सूचना – इस विषय पर - और टी.एफ.आर.ए. के राज्य स्तरीय चर्चासत्र में मिली सिफारिशों पर - अधिक जानकारी के लिये www.fra.org.in देखिये।

या फिर इस पते पर लिखें -

श्री वाय. गिरी
वसुंधरा ए ७० शहीद नगर
भूबनेश्वर ७५१००७ ओडिशा
फोन / फैक्स 0674-2542011/12/28
ईमेल ः ygiri.rao@gmail.com
Website:www.vasundharaorissa.org.

१.२. वन्यजीव संरक्षण कानून

१.२.१. वन्यजीव संरक्षण कानून में सुधार

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में सुधार करवाने की संभावना को जाँचने के लिये समिति स्थापित की है। इस विषय में सुधारों की प्रक्रिया में लोगों को शामिल कराने के बारे में कुछ प्रमुख प्रस्तावों की विषेशताएँ इस प्रकार की हैं –

१. पूरी तरह लोगतांत्रिक तरीके से ग्रामसभाएँ या उनके न होने पर अन्य पारंपारिक संस्थाएँ महिलाएँ वगैरह सब को शामिल किया जाए और टी.एफ.आर.ए. में दी गई परिभाषा के अनुसार लोगों का सहभाग हो।

२. लोकसमूहों को हर एक स्तर पर प्रतिनिधित्व देने के तत्व के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव कृति योजना के भाव का पालन करते हुए और संयुक्त राष्ट्रों के 'कन्वेन्शन ऑन बायोलोजिकल डायवर्सिटी' के 'प्रोग्राम ऑफ वर्क ऑन प्रोटेक्टेड ओरियाज़' के तहत देश की प्रतिबद्धता को निभाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय लोकसमूहों को प्रतिनिधित्व मिले।

३. राष्ट्रीय वन्यजीव कृति योजना के अनुसार और संयुक्त राष्ट्रों के 'कन्वेन्शन ऑन बायोलोजिकल डायवर्सिटी' के 'प्रोग्राम ऑफ वर्क ऑन प्रोटेक्टेड ओरियाज़' के तहत देश की प्रतिबद्धता को निभाते हुए निसर्ग संरक्षण व्यवस्थाओं में अधिक लोगों के सहभाग को प्रोत्साहन दें। अभयारण्यों में और उनके नज़दीक बसनेवाले

लोगों को अभयारण्यों की व्यवस्थापन समितियों में सहभागी करना इसमें शामिल है। वन्यजीव अधिनियम टी.एफ.आर.ए. और जैवविविधता अधिनियम को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें।

४. राष्ट्रीय उद्यान में बहतर निसर्ग संरक्षण और व्यवस्थापन के लिये सलाह देनेवाली राज्य की राष्ट्रीय उद्यान सलाहकार समिति में राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास रहनेवालों को शामिल किया जाए ताकि उद्यान के वृद्धिंगत संरक्षण और व्यवस्थापन में उन का सहभाग हो।

५. राज्य के प्रमुख वन्यजीव संरक्षक को संरक्षण और व्यवस्थापान के बारे में सी.एम.आर.सी. द्वारा बनाई गई व्यवस्थापन रणनीति के अनुसार सलाह देने के लिये गठित की हुई 'कॉन्ज़र्वेशन रिज़र्व व्यवस्थापन समिति' में लोकसमूह के सभी वर्गो का ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग हो।

सूचना – प्रस्तावित सुधारों को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर पढ़ा जा सकेगा। (http://moef.nic.in/index.php)

१.२.२.'एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट' पंछी को कानून के 'शेडयूल १' से बाहर किया गया

निसर्ग संरक्षण के लिये नवीन रणनीति अपना कर राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद ने अण्डमान और निकोबार द्वीपों पर गुँफाओं में बच्चे देनेवाले 'एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट' पंछी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की संरक्षित जीवजातियों की सूचि से हटाया है। 'बर्ड्स नेस्ट सूप' (चीन का एक स्वादिष्ट खाद्य) के लिये आवशक इनके घोसलों के लिये उनकी अनाधिकार शिकार करके व्यापार के लिये जो जनसमुदाय पहले घोसलों को इकट्ठा किया करते थे उनको अब बाकायदा ऐसे घोसले बेचने में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार पंछियों को बचाते हुए घोसले इकट्ठा करनेवालों की रोजीरोटी का प्रबंध भी हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद का मानना है कि इस प्रकार पंछियों के रक्षण के साथ साथ जनसमूह का शाश्वत भरणपोषण भी होगा।

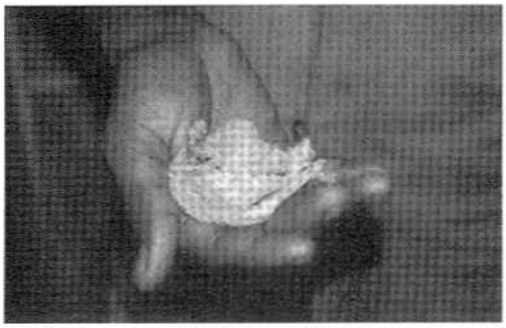

घोसलों को इकट्ठा करनेवाले के हाथ में एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट का घोसला जारावा क्रीक बारातॉंग द्वीप (१९९८)। पंकज सेखसरिया द्वारा चित्रित।

इस पक्षी का संरक्षण करने के साथसाथ व्यापार के लिये इसके घोसलों को इकट्ठा करने की अनुमति देने का परिणाम यह होगा कि पक्षी के घोसलों को चुराना बंद हो जाएगा और घासले चुराए जाने के कारण पक्षी के बच्चों की होनेवाली मौत को रोका जाएगा।

विस्तृत वर्णन यहाँ पढ़िये –
http://www.indianexpress.com/news.selling-birds-nest-soup-to-save-this-bird-theres-a-change-in-law/503342/0

पाकिस्तान में मार्खोर की बाकायदा शिकार का उदाहरण – 'ट्रोफ़ी' के साथ साथ निसर्ग संरक्षण

मार्खोर की शिकार : 'ट्रोफ़ी' ।

जैवविविधता का संरक्षण करने के लिये और अभिरक्षकों की आर्थिक उन्नति के लिये 'ट्रोफ़ी' की शिकार को दुनियाभर में पिछले बीस सालों में काफ़ी सार्वजनिक समर्थन मिला है । कन्वेन्शन ऑन बायोडायवर्सिटी (सी.बी.डी.) तथा सी.आय.टी.ई.एस. जैसे अन्य करारों के कारण भी दुनिया भर में इस विचार को बढ़ावा मिला है ।

पाकिस्तान में कई ऐसे जानवर पाये जाते हैं जिनकी संसार में 'ट्रोफ़ी' के तौर पर बड़ी कद्र की जाती है । यहाँ पर स्थित कठिन व उँचे पर्वतों को जैवविविधता के और विशेष कर के शिकार के योग्य जानवरों के 'हॉटस्पॉट' माना जाता है । शिकार की संकल्पना इस प्रदेश में काफ़ी पुरानी है । राजा महाराजा और नवाब वगैरह सदियों तक शिकार खेला करते थे । अंग्रेज़ों के अधिकार के दिनों में इस पर्वतीय क्षेत्र के वन्यजीवों की 'रेकॉर्ड ट्रोफ़ी' अपने अपने संग्रहालयों के लिये नमूने के तौर पर प्राप्त करने के प्रयास में विदेशी शिकारिओं का ताँता लगता था । तथापि भारी मात्रा में हो रही शिकार को कायम रखना असंभव हुआ और बड़े सस्तन जानवरों की संख्या – और विशेष कर खुरधारी जानवरों की संख्या – घटती रही । जिन स्थानीय लोकसमूहों को अपने सदियों पुराने पारंपारिक अधिकारों को बिना विकल्प छोड़ना पड़ा उन्ही को जैवविविधता का कायम संरक्षण करने में संगठित करना मुश्किल समझ कर अंतर्राष्ट्रीय 'ट्रोफ़ी' शिकार को प्रोत्साहित किया जाने लगा । इसी कारण आमदनी के हर स्रोत को ढूंढ कर उसे उपयोग में लाते हुए साथसाथ संसाधनों का कानूनसंमत और शाश्वत व्यवस्थापन करना अनिवार्य हुआ । और साथ ही प्रोत्साहन के तौर पर निसर्गसंरक्षण से जुड़े लोकसमूह के विकास के हर मौके का लाभ उठाना भी आवश्यक हो गया ।

पाकिस्तान में 'ट्रोफ़ी' की संघटित और कानूनसंमत शिकार की धारणा के प्रवर्तक थे 'आगा खानरूरल सपोर्ट प्रोग्राम (ए.के.आर.एस.पी.)' डब्लू. डब्लू.एफ .-पाकिस्तान और 'सोसायटी फार तोरघर एन्वायरन्मेंट प्रोटेक्शन (एस.टी.ई.पी.)' । सी.ओ.पी. १० में सी.आय.टी.ई.एस. ने 'ट्रोफी' के तौर पर मार्खोर की शिकार का 'क्वोटा' संमत करने पर पाकिस्तान में विदेशी शिकारिओं द्वारा मार्खोर की इस प्रकार की कानूनसंमत शिकार का १९९७ में प्रारंभ हुआ । इस जानवर की शिकार के लिये स्थानीय

जनजाति द्वारा दिये जानेवाले कबाइली प्रमाणपत्रों की जगह सी.आय.टी.ई.एस. के निर्यात अनुमतिपत्र दिये जाने लगे । तब से सी.आय.टी.ई.एस. के साथ पाकिस्तान के प्रांतीय और संघीय वन्यजीव कानून के अनुसार 'ट्रोफ़ी' की शिकार के कार्यक्रम का नियंत्रण किया जाता है । संघीय तथा प्रांतीय प्राधिकारी और लोकसमूहों ने अपनाई हुई प्रक्रिया के द्वारा यह शिकार नियंत्रित की जाती है । वन्यजीव संरक्षण के लिये संघीय स्तर पर बनाई गई राष्ट्रीय परिषद (एन.सी.सी.डब्लू.) और उत्तरपश्चिमी सरहदी प्रांत (एन.डब्लू.एफ.पी.)बलोचिस्तान व गिल्गिर्टबाल्टीतान के वन्यजीव विभाग मिल कर मार्खोरों की संख्या का अनुमान लगाने के जिम्मेदार होते हैं और वे सारे संबंधित सी.सी.ए. के 'क्वोटा' (नियतांश) निर्धारित करते हैं । एन.सी.सी.डब्लू. ने 'क्वोटा' निर्धारित करने पर अर्ज़ी को 'घोषित' (नोटिफाय) करने के लिये वह प्रांतीय विभागों को पेश की जाती है और सारी प्रक्रिया को उस प्रांत के मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन दिया जाता है । सारी शिकार के बाद शिकार की रिपोर्ट संबंधित विभाग को पेश की जाती है जो उन्हे एन.सी.सी.डब्लू. को भेजनी होती है ताकि वह निर्यात अनुमतिपत्र ज़ारी कर सके निर्यात अनुमतिपत्र प्राप्त होने पर जानवरों के 'क्वारंटीन' विभाग से 'वेटेरिनरी सर्टिफिकेट' ज़ारी किये जाते हैं और फिर 'ट्रोफ़ी' को मंज़िल तक भेज दिया जाता है ।

'ट्रोफ़ी' की शिकार से प्राप्त आमदनी पर आधारित समुदाय के लिये उपयुक्त परियोजना ।

लेखक - ताहिर रशीद
National Project Manager, Habitat & Species Conservation Project, SUSG-C Asia, BRSP House, 5-A Saryab Road, Quetta
Phone: 081-2451551, email:tahir_rasheed20@yahoo.com

यह भी कहा जा सकता है कि उपर दिये गए दो मामले निसर्गसंरक्षणकर्ता रवि शंकरन् ने थोड़े समय में किये हुए अत्यंत प्रभावी कार्य को उचित सिद्ध करते हैं और साथ ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

समानता और फर्क

पाकिस्तान में की जानेवाली मार्खोर की इस प्रकार की शिकार में और 'एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट' के घोसलों को इकट्ठा करने में बड़ा फ़र्क है क्योंकि मार्खोर की जान ली जाती है जब कि स्विफ्टलेट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। उपक्रम के प्रवर्तक इस बात को बार बार दोहराते हैं क्योकि जब किसी जानवर या पंछी की जान ली जाती है तो अलग बात होती है। प्रवर्तकों के अनुसार इन घोसलों को इकट्ठा करना गाय को दुहने जैसा है – तत्व में और चालन में हत्या से कोसों दूर। तथापि जैसे पक्षी वैज्ञानिक तथा एन.बी.डब्लू.एल. के सदस्य असद रहमानी ने ठीक ही कहा है निसर्ग संरक्षण की रणनीतियाँ लचीली होनी चाहिये।

२. लोकसमूहों द्वारा संरक्षित क्षेत्र (कम्यूनिटी कॉन्ज़र्वड एरियाज़)

२.१. घटनाएँ और नतीजे

२.१.१. उत्तरपूर्व के क्षेत्र में सी.सी.ए. के बारे में सभा

'उत्तरपूर्व के क्षेत्र में कम्यूनिटी कॉन्ज़र्वड एरियाज़ स्थिति चुनौतियाँ और मौके' इस विषय पर पुणे की कल्पवृक्ष संस्था और नई दिल्ली की विन्रॉक इंटरनॅशनल इंडिया संस्था ने मिल कर एक कार्यशाला आयोजित की थी जो असम के नोगाँव स्थित नोगाँव छात्रा विद्यालय में ७ से ९ मई २००९ को संपन्न हुई। कार्यशाला का उद्देश्य था सी.सी.ए. क्षेत्रों की स्थिति चुनौतियाँ और सी.सी.ए. को प्रोत्साहन देने के तथा क्षमता को वढ़ाने के मौकों के वारे में
विचारविमर्श करना। चर्चा के विषय थे –

१. भारत के सी.सी.ए. क्षेत्रों का परिचय।

२. उत्तरपूर्वी क्षेत्र में सी.सी.ए. के लिये पर्यावरण नीति।

३. उत्तरपूर्वी क्षेत्र के कुछ सी.सी.ए. की केस स्टड़ी और फिर सदस्यों द्वारा उनके अपने राज्यों के सी.सी.ए. का परिचय।

४. जागतिक संदर्भ में सी.सी.ए.।

५. उत्तरपूर्वी क्षेत्र में विकास से उत्पन्ना होनेवाले दवाव के प्रभावों पर चर्चा।

६. सी.सी.ए. क्षेत्रों का वैश्विक डेटाबेस के द्वारा दस्तावेज़ीकरण और हितधारकों के योगदान के। बारे में चर्चा।

७. सरल संभव चरणों में आगे वढ़ने का मार्ग।

सूचना – चर्चासत्र की कार्यवाही पर अधिक जानकारी के लिये नीमा पाठक से संपर्क करें – neema.pb@gmail.com.

२.१.२ सी.सी.ए. के बारे में पश्चिमी क्षेत्रीय विचारगोष्ठी

यह सब जानते हैं कि गत सदियों में दुनिया के अनेक हिस्सों में स्थानीय लोकसमूह स्थानीय आवासों के महत्वपूर्ण पहलूओं का उपवनों का चराई क्षेत्रों का और नदींतालाबों का संरक्षण किया करते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे अनेक इलाकों के विविध उदाहरण पाये जाते हैं जो कि लोकसमूहों के कष्ट और प्रोत्साहन के कारण बच पाये हैं। मगर आज भी इस बात का पूरा महत्व माना नहीं जा रहा है कि कम बारिशवाले क्षेत्रों में स्थानीय लोकसमूहों की आजीविकाएँ इन्ही पर निर्भर होती हैं। लोकसमूहों ने संरक्षित किये हुए क्षेत्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर बेहतर हस्तक्षेप करने के लिये ढाँचा विकसित करने के लिये २४ और २५ अक्तूबर २००९ को जयपूर में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिस में अनेक संशोधक एन.जी.ओ. और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्हों ने विभिन्न लोकसमूहों के अनुभव प्रस्तुत किये जिन में अलवर में स्थित ओरण और वॉटर्शेड में किये गए हस्तक्षेप के दक्षिण राजस्तान के जंगलों के तथा पश्चिमी राजस्तान के रेगिस्तानी इलाके के और दक्षिण गुजरात में डांग के कबाइली क्षेत्र के अनुभव भी शामिल थे। यह स्पष्ट किया गया कि लोगों की ज़रूरतों में और संस्थागत वातावरण में समय के बीतने के साथ बदलाव आया है।

सूचना – http://www.hindu.com/2009/10/31/ storie/२००९१०३१५७२२०७००.हतम को भी देखें/

२.१.३. दक्षिण अशिया - काठमाण्डु में विचारगोष्ठी

अगस्त महीने में सी.सी.ए. क्षेत्रों के बारे में नपाल में काठमाण्डु शहर में दो विचारगोष्ठियों का आयोजन किया गया था। इन में से एक नेपाल के राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरी दक्षिण अशियाई क्षेत्र पर रही। दोनों के आयोजक थे भारत की कल्पवृक्ष संस्था और काठमाण्डु नेपाल की फॉरेस्ट ॲक्शन संस्था। दोनों विचारगोष्ठियों में नये लागों के बीच सी.सी.ए. के बारे में और विशेष कर आज के बदलते हुए आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निसर्गसंरक्षण के कार्य में उन के संभावित योगदान के बारे में चिंता चर्चा और बहस हुई। लोकसमूहों के प्रतिनिधि छोटे तथा बड़े एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि और कुछ सरकारी प्रतिनिधि इस कार्यशाला में उपस्थित थे। सहभागी हुए सभी लोगों ने सी.सी.ए. के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त की। अनेक

दृष्टीकोण और चिंताओं से युक्त यह चर्चाएँ गहन रही। सी.सी.ए. क्षेत्रों के लिये मान्यता के बारे में और मान्यता देने के कारणों के बारे में तथा मान्यता देने की पद्धति के बारे में और मान्यता देने के परिणामों के बारे में भी खूब चर्चाएँ हुई। पाकिस्तान में शिकार के लिये आरक्षित हुए क्षेत्रों से ले कर नेपाल के हिमालय पर्वत में स्थित सगरमाथा के टापू में फैले पवित्र क्षेत्र और खांचेनजुँगा संरक्षित क्षेत्र तक के विभिन्न दिलचस्प अनुभव प्रस्तुत किये गए।

अधिक स्पष्टता की आवश्यकता को और स्थानीय स्तर पर धारणाओं प्रक्रियाओं और प्रभावों के विस्तार की आवश्यकता को मानते हुए कुल मिलाकर सी.सी.ए. का विचार उत्साहपूर्वक अपनाया गया। इस विचारगोष्ठी के दिलचस्प परिणामों में से कुछ हैं -

१. नेपाल के सी.सी.ए. पर राष्ट्रीय विचारगोष्ठी में उपस्थित लोकसमूहों के कुछ सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय मंच की स्थापना।

२. वर्तमान में लिखे जा रहे नेपाल के संविधान में और संशोधित किये जा रहे नेपाल के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में सी.सी.ए. क्षेत्रों का अंतर्भाव किया जाने की संभावना।

३. वर्तमान में संशोधित किये जा रहे बांग्लादेश के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में सी.सी.ए. क्षेत्रों का अंतर्भाव किया जाने की संभावना।

४. पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका में नीति और व्यवहार में ठोस परिणामों के उद्देश्य से सी.सी.ए. क्षेत्रों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श।

सूचना – अशीष कोठारी (ashishkothari@vsnla.com) और नीमा पाठक (neema.pb@gmail.com) का योगदान। दोनों से संपादकीय पते पर भी संपर्क कर सकते हैं।

२.१.४. सी.बी.डी. की तैयारी में सभा सी.बी.डी. के संरक्षित क्षेत्रों के कार्यक्रम के

कार्यान्वयन के लिये अशिया की क्षेत्रीय कार्यशाला प्रोग्राम

सी.बी.डी. के संरक्षित क्षेत्रों के कार्यक्रम (पी.ओ.डब्लू.पी.ए.) के तहत देशों ने कई वादे किये हैं जैसे कि संरक्षित क्षेत्रों के शासनविधि में अधिक लोगों और समुदायों को शामिल करने का वादा आदिवासी और स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित किये हुए क्षेत्रों के लिये मान्यता देने का वादा संरक्षित क्षेत्रों से मिलनेवाले लाभों को समुदाय के साथ बाँटने का वादा वगैरह। पी.ओ.डब्लू.पी.ए. पर २००४ में सहमती हुई थी और २०१० में उस की परिणामकारकता की पूरी तरह समीक्षा होनेवाली है। इस की तैयारी के तौर पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिये देशों की क्षमता बढ़ाने के लिये सी.बी.डी. सचिवालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यशालाओं की शृंखला आयोजित की जा रही है। अशियाई कार्यशाला १२ से १५ अक्तूबर तक भारत में देहरादून शहर में आयोजित की गई थी। इस में २० देशों के सरकारी अधिकारी और नागरी संघटनाओं के प्रतिनिधि और आदिवासी समूहों के प्रतिनिधि (जो संख्या में बहुत कम थे) उपस्थित रहे।

आधे दिन तक चले एक विशेष सत्र में संरक्षित क्षेत्रों के शासनविधि पर विचारविमर्श हुआ जिस में सहभाग समानता लाभों का सहभाजन और आदिवासी और स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित किये हुए क्षेत्रों के लिये मान्यता जैसे मुद्दे शामिल थे। एक और सत्र में संरक्षित क्षेत्रों को बड़े भूदृष्य या नौदृष्य में समाने के बारे में चर्चा हुई जिस में कई सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक मुद्दे शामिल थे। भारत के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन में कई संरक्षित क्षेत्रों के व्यवस्थापक वन्यजीव संशोधक और एन.जी.ओ.शामिल थे। चर्चाओं में संकल्पना को स्पष्ट किया गया अधिक सहयोगपूर्ण शासननीति की स्थापना में भारत की प्रगति की समीक्षा की गई ज़ारी कमज़ोरियों को और भविष्य में जो कदम उठाने पड़ेंगे उन को पहचानने की कोशिश भी की गई।

कार्यशाला की संपूर्ण रिपोर्ट को शीघ्र ही सी.बी.डी. वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है

नई प्रजाति की खोज की

नागालँड के सेंदेन्यू गाँव ने संरक्षित किये हुए जंगल क्षेत्र में मेंढक (उभयचर) की एक नई प्रजाति खोज निकाली गई है। यह शास्त्र के लिये नई है और इसे Ichthyophis sendenyu यह शास्त्रीय नाम दिया गया है।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क का पता
Gwasinlo Thong, Chairman,
Sendenyu Community Biodiversity Conservation Committee,
Sendenyu village, Kohima District.
Nagaland.
E-mail: gwasinlo@yahoo.com

२.२. केसस्टडी – असम के काकोइजाना अरण्य के सुनहरे लंगूरों का संरक्षण

काकोइजाना की पहाड़ियाँ जो कभी घने और विविधतापूर्ण जंगल से व्याप्त थी अनेक कारणों से बरबाद हो गई हैं। केवल उत्तरपूर्वी भारत में और भूटान में पाये जानेवाले सुनहरे लंगूर (Trachypithecus geei) शिकार की वजह से और उन के आवास के विनाश के कारण

खुद विनाश की चौखट पर पहुँच चुके हैं। आय.यू.सी.एन. की बनाई लुप्तप्राय प्रजातियों की सूचि में इस लंगूर का अंतर्भाव है तथा भारत के वन्यजीव संरक्षण आधिनियम के शेडयूल १ (संपूर्णतः संरक्षित प्रजातियाँ) में भी यह मौजूद है।

१९७० से कुछ साल पहले वन विभाग ने इस जंगल के किसी हिस्से में व्यापार के लिये सागौन के प्लान्टेशन्स स्थापन करने के लिये जंगल को साफ किया। १९८० के दशक में अन्य प्रांतों के लोगों के असम में बसने के खिलाफ़ जो आंदोलन हुआ उस के कारण इस क्षेत्र में कोई जिम्मेदार माध्यम न रहा और गाँव के तथा बाहरी तत्वों ने रूपयों के लिये जंगल को लूटा। जब पहाड़ी के बहुतांश हिस्सों से लगभग सारी वनस्पति हटाई गई थी तब जा कर (१९९० से कुछ पहले) पहाड़ी के तल में बसे गाँवों के लोगों को इस के परिणाम महसूस हुए- मान्सून काल में बाढ़ आने के बावजूद गर्मी में पानी के स्रोतों का सूख जाना और साथ ही ईंधन चारा और अन्य वन उपजों का अभाव। इसी के साथ जो वन्य जीव अन्न की खोज में खेतों में आने लगे उन के विरूद्ध संघर्ष होने लगा।

इस परिस्थिति में 'उजान राभापारा' गाँव के निवासियों ने आगे बढ़ कर पेड़ो को कभी न काटने का और वृक्षारोपण आदि विविध तरीकों को अपना के जंगल का पुनर्निर्माण करने का फैसला अपने मंदिर के सामने किया। थानेस्वर राभा जो उन दिनों ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष थे कहते हैं "यह कल्पना अन्य गाँवों तक फैल गई क्यों कि सब जान गए कि जंगल कि विना भविष्य निराशाजनक रहेगा"।

१९९० के दशक के मध्य में जब 'नेचर्स फॉस्टर' एन.जी.ओ. के सदस्य इस क्षेत्र में निसर्ग शिक्षण के लिये आए थे तब उन्हों ने गाँव के पहल के बारे में सुना। इसी समय उन्हों ने कुछ सुनहरे लंगूर भी देखे। उत्तेजित हो कर अन्य कुछ एन.जी.ओ. के साथ उन्हों ने वहाँ अभयारण्य बनवाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन निवासियों के साथ बातचीत करने पर उन को पता चला कि राजनैतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों के अभाव में वन विभाग के व्यवस्थापन के बजाय लोकसमूह पर आधारित निसर्गसंरक्षण का प्रस्ताव बेहतर साबित हा सकेगा। इस प्रकार स्थानीय लोकसमूहों के साथ मिल कर शांत और धीमी गति के साथ निसर्ग संरक्षण के मुद्दों के साथ साथ रोज़गर कृषि उत्पादन पानी आरोग्य और शिक्षण के प्रश्नों को सुलझाने की कोशिशें भी शुरू हुई। काम आसान नहीं था। गैरकानूनी तरीके से होनेवाली वृक्षकटाई तथा शिकार को अटकाव करना आवश्यक था और लोकसमूहों के द्वारा निसर्ग संरक्षण किये जाने के पक्ष में वन विभाग को लाना था। इन पहाड़ियों के आसपास बसे २८ गाँवों में राभा बोड़ो गारो कोच राजवंशी संथाल नेपाली और बंगाली (हिंदु तथा मुस्लिम) जैसे विभिन्न स्थानीय समुदायों के साथ मेल रखने की सांस्कृतिक समस्या भी थी।

इस कार्य के परिणाम स्पष्ट दिखाई देते हैं। उजान रभापारा जैसे जिन गाँवों में कार्यक्रम दो दशक पहले शुरू किया गया था वहाँ पूरी पहाड़ी वनाच्छादित हुई है। सिपोन्सिला चोरापारा झाकुआपारा -२ और पहाड़तली जैसे गाँवों ने संरक्षित किये हुए वन सब से ज़्यादा गहरे और विविधतापूर्ण हैं। इस बात का अंशतः कारण यह हो सकता है कि वे दूर और अधिक अगम्य हैं।

ज़्यादातर गाँव इसी सहस्रक में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कारण कई हिस्सों में वन क्षेत्र का पुनर्जनन अभी शुरू ही हुआ है।
लंगूरों के और उन के आवास के संरक्षण में बहुत सारे गाँवों के निवासी बड़े लगाव के साथ जुटे हुए हैं। संरक्षण के विविध मार्ग अपनाए गए हैं और नियम लिखित या मौखिक रूप में हैं। किसी जीवित वृक्ष की कटाई वैध नहीं है लेकिन गिरी हुई शाखाएँ उठाई जा सकती हैं। शिकार अवैध है। नियमों को तोड़नेवालों को रू.५१ से लेकर रू.५००१ तक जुर्माना देना पड़ता है। भारत में निसर्गसंरक्षक लोकसमूहों के साथ कार्य करनेवालों को यह कहानी परिचित लगेगी। लंगूरों की संख्या से पता चलता है कि वन्यजीवों को लाभ हुआ है। २००८ में उन की संख्या ४८८ रही। १९८० की लंगूरों की संख्या का पता नहीं। फिर भी स्थानीय एन.जी.ओ. के अनुसार वह बहुत कम थी। हाल ही में काकोईजाना के चार लंगूर एक पहाड़ी से मानव प्रभुत्ववाले क्षेत्र को पार कर के कुल १० किमी की दूरी पर स्थित अन्य पहाड़ी (भुमेश्वर) में बसने चले गए। इस से लगता है कि काकोईजाना क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लंगूरो की संख्या अधिकतम हो चुकी है। सूरजमुखी (पॅ¬ङ्गोलिन) ककर (बारकिंग डीअर) केकडे खानेवाला नेवला (क्रॅब ईटिंग मंगूज़) लाल मुखधारी बंदर जैसे अन्य वन्य प्राणि और १५० से ज़्यादा किस्म के पक्षी अब यहाँ देखे जाते हैं।

बाहय बलों और एजेंसियों के साथ एकात्मता से पेश आने के लिये तथा गाँवों के बीच उठनेवाले सवालों, तनावों को सुलझाने में मदद करने के लिये २००८ में गाँवों ने मिलकर एक संघ बनाया। समुदायों को अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (कॉन्झर्वेशन रिझर्व और कम्यूनिटी रिझर्व) जैवविविधता अधिनियम (बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट) वन अधिनियम (विलेज फॉरेस्ट) वन अधिकार अधिनियम (कम्यूनिटी फॉरेस्ट) व अन्य राष्ट्रीय अधिनियमों के तहत विभिन्न निसर्गसंरक्षण श्रेणियों के भले बुरे असर समझने में मदद की आवश्यकता है।

सूचना - संपूर्ण लेख इंटर्नेट पर देखें
"PROTECTING THE BEAUTIFUL AND ENDANGERED CREATURES" The Telegraph (http://www.telegraphindia.com/1090924/jsp/opinion/story_11531943.jsp), 24 September 2009 by Ashish Kothari.

३. निसर्ग संरक्षणविचारधाराओं की लड़ाइयों से लेकर व्यावहारिक सुलझावों तक

(अंग्रेज़ी किताब की अनुराधा अर्जुनवाडकर ने की हुई समीक्षा)

मेकिंग कॉन्ज़र्वेशन वर्क

(MAKING CONSERVATION WORK)

संपादकः गज़ाला शाहबुद्दिन और महेश रंगराजन

प्रकाशकः पर्मनण्ट ब्लैक

२००७(रू.595/-)

यह किताब निसर्ग संरक्षण के बारे में होने के साथ साथ उपेक्षित लोकसमूहों के बारे में भी है। भारत के कई अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में तथा अन्य इलाकों में बसनेवाले वन्य जीव और वंचित जनसमूहों के बीच अस्तित्व के लिये छिड़ी हुई लड़ाई की ओर इस में ध्यान दिया गया है। संपादक मानते हैं कि बचे हुए वन्य जीवों की रक्षा करते हुए जंगलों में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर लोकसमूहों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना यही निसर्ग संरक्षणकर्ताओं के लिये एक चुनौती है।

संपादकों ने निसर्ग संरक्षणविषयक बहस को व्यापक स्तर से ले कर विशिष्ट मुद्दों पर लाने के प्रयास में बहुविध विद्याशाखाओं का इस्तेमाल करनेवाला मार्ग चुना है। इसलिये किताब में शामिल किये गये निबंधों के लेखकों में से कुछ संशोधक हैं कुछ विद्वान हैं और कुछ सामाजिक कार्य कर्ता हैं। निसर्ग संरक्षण और जंगल के संसाधनों के शोषण का इतिहास बयाँ करते हुए वे पाठक को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाते हैं और जंगल और वन्य जीवों को बचाने के लिये जहाँ से लोगों को अलग रखा गया ऐसे वन्य क्षेत्रों में उन्ही वन्य जीवों पर हुए बुरे असर की तथा स्थानीय लोकसमूहों की मुश्किलों की झाँकियाँ दिखाते हैं।

किताब में छपे आठ निबंधों में से पहले कुछ निबंधों में मनुष्य को प्रकृति से अलग करनेवाली नीति पर आधारित निसर्ग संरक्षण कार्यक्रमों के नतीजों का वर्णन है। एक निबंध में सहभागी तत्व पर चलाये गए अभयारण्य के व्यवस्थापन की राजनीति की जानकारी दी गई है जहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं ने और वन विभाग ने 'कुल्हाड़ी बंद' नामक सफल स्थानीय

वृक्षसंरक्षण आंदोलन का श्रेय हथिया लिया। एक और निबंध में समुद्री कछुओं का रक्षण करने के लिये स्थलीयर्जैसी स्थिर सीमाएँ मानकर बनाई गई विविध योजनाओं का वर्णन दिया गया है। सामाजिक विषमता के कारण जंगल

उपज बेपरवाही से इकट्ठा करने से किसी वन्य जाति के वृक्षों की संख्या पर पड़नेवाले असर का वर्णन भी किसी निबंध में किया गया है। वंचित और असमर्थ आदिवासी जब अभयारण्य स्थित गाँव से हटाए गए तो उसी वजह से कैसे दरिद्र बन गए यह किसी अन्य लेख में हम पढ़ सकते हैं। जो आदिवासी अपने अधिकारों को जान गये हैं संघटित हैं और अपनी मांगें रखने में मुखर हैं वे राज्य सरकार को अभयारण्य के किसी हिस्से पर नियंत्रण को छोड़ने पर भी मजबूर कर सकते हैं। किसी निबंध से पता चलता है कि नागालैण्ड के इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा ही हुआ था जहाँ इस प्रकार विस्थापन कराने के कारण अभयारण्य का नुकसान भी हुआ था।

बाकी निबंधों में नवीनता जतानेवाले ऐसे निसर्ग संरक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई है जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में बसनेवाले लिसू आदिवासी तथा राजस्तान के अभयारण्यों के करीब रहनेवाले बवारिया जोगीनाथ और मेओ आदिवासियों जैसे उपेक्षित और जंगल पर निर्भर समाजों के सदस्यों के साथ चर्चा कर के बनाए गए हैं। इन उपेक्षित लोकसमूहों के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर उनकी आजीविकाएँ सुरक्षित रखी जा सकती हैं। प्रशिक्षित आदिवासी वन्य जीवों से अनाज का संरक्षण कर सकते हैं देहातों में पर्यावरण प्रशिक्षण दे सकते हैं या फिर आरोग्य सेवा दे सकते हैं। शिकारी और वन उपज बटोरनेवाले लिसू मेहनती और उद्यमशील हैं। ऐसे लोकसमूहों के साथ सलाहमशवरा कर के उन्हे निसर्ग संरक्षण के कार्य में शामिल किया जा सकता है तथा उन के लिये कुछ वैकल्पिक आजीविकाएँ भी उपलब्ध की जा सकती हैं। लेखक यह समझाते हैं कि निसर्ग संरक्षण और आजीविकाओं को जोड़नेवाले किसी कार्यक्रम में यश पाने के लिये निसर्ग संरक्षण के कार्य में जुटे लोगों को खुद अपना रूख़रवैय्या बदलना ज़्यादा महत्त्वपूर्ण क्यों है।

सारे निबंध कठोर अभ्यास पर आधारित हैं हालांकि इन में से एक या दो निबंधों की लंबाई कुछ ज़्यादा लगती है। दिल में अगर यह महत्वाकांक्षा हो कि न्याय और निसर्ग संवर्धन के जुड़े हुए उद्देश्यों को हासिल करें तो यह किताब पाठक के लिये प्रेरणादाई होगी।

पोस्ट स्क्रिप्ट – हमे आशा है कि आप को समुदाय व संरक्षण का यह अंक पढ़ने में मज़ा आया हो। आप के सुझावों का और फीडबॅक का हमे इंतज़ार है। अगर आप को अधिक दिलचस्पी है या फिर आप भी अपने अनुभव कथन करना चाहते हैं तो हमे बेझिझक लिखिये। आप का योगदान हमें डाक से संपादकीय पते पर या फिर ईमेल के रूप में इस पते पर भेजें milindwani@yahoo.com (ईमेल के सब्जेक्ट में कृपया पेर People in .. Conservation लिखें)ः

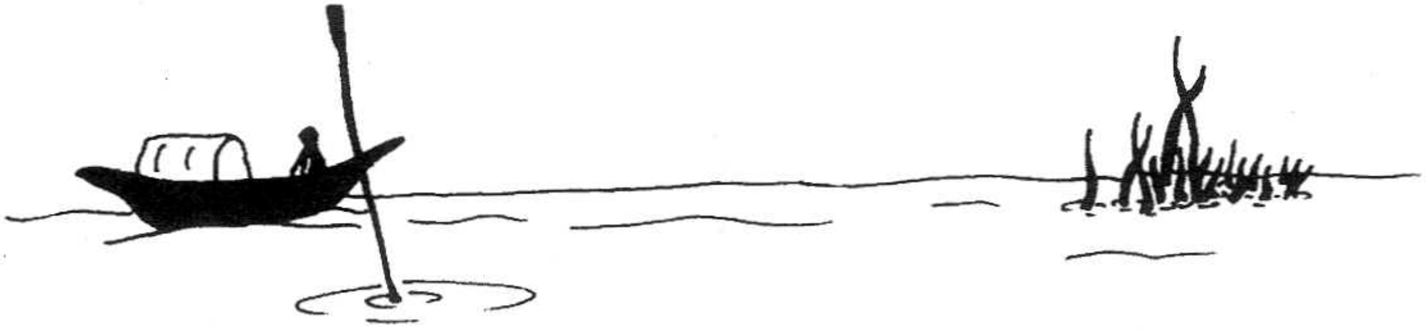

समुदाय व संरक्षण – जैवविविधता का संरक्षण और रोज़ीरोटी की निश्चिंतता
अंक २ नं. ३ oct 09
संपादकः मिलिंद वाणी
परामर्शः नीमा पाठक
संपादकीय सहयोग और अनुवादः अनुराधा अर्जुनवाडकर
मुखपृष्ठ फोटोः आशिष कोठारी, जलधार गॉव - बीज बचाव आंदोलन, समुदायों द्वारा जैवविविधता का संरक्षण
चित्रांकनः
निर्माणः कल्पवृक्ष अपार्टमेंट ५ श्री दत्त कृपा ९०८ डेक्कन जिमखाना पुणे ४११००४
फोनः 91-20-25675450,
फोन्रफॅक्सः 91-20-25654239
ईमेलः kvoutreach@gmail.com
वेबसाईटः
आर्थिक सहयोगः मिज़ेरिओर जर्मनी

निजी वितरण के लिये

प्रकाशित विषयवस्तु

(प्रिंटेड मॅटर)

सेवा मेंः